न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 92/2018 राजस्व अपील

1. पप्पू पुत्र जैन्या जाति माली निवासी बहरावण्डा तहसील सिकरायजिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय दि. 20.08.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामावतार आदि प्रकरण स. 370/2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक: 30.01.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट नें संवत 2072 में ग्राम बहरावण्डा में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 192 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई पर बाजरा की काश्त एवं बाडा व पाटोल का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 20.08.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने ना तो अक्रिमण किया ना ही वर्तमान मे कोई बाजरे की काश्त कर रखी है, पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर अपीलान्ट के समक्ष कोई जांच नही की, अपीलान्ट ने पूर्व मे ही कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र माननीय न्यायालय मे पेश कर दिया था। अपीलान्ट को न तो सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नही है। यदि सजा का आदेश एक बार निरस्त हो चुका है, के बाद भी कोई अतिक्रमण होना माना जावे तो अलग से प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर सुनवाई नियमित रूप से की जाकर निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2018 को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा संवत 2072 में ग्राम बहरावण्डा स्थित भूमि खसरा नं. 192 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई पर बाजरा की काश्त, बाडा व पाटोल का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 18.09.2015 को अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट अतिकमी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष एक अपील पेश की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 26/2018 राजस्व अपील में निर्णय दिनांक 01.06.2018 पारित कर अपीलान्ट को राजकीय भूमि पर से अतिकमण हटाने व भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिकमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे, परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की पालना न करने पर पुनः अपीलान्ट को अतिकमी मानते हुए दिनांक 20.08.2018 को अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा आदेश दिनांक 18.09.2015 को यथावत रखा गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत राजकीय भूमि पर से कब्जा हटा लिया जाने एवं भविष्य में किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नंबर 192 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.08.2018 को स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, दौसा